# छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर– 490021
दूरभाषः 0771–4073568, फैक्सः 4073553
वेबसाइट www.cserc.gov.in, ईमेल: cserc.sec.cg@nic.in


याचिका क्रमांक 44 ऑफ 2026

**विषयः –** अभ्यावेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में 31.03.2025 को अप्रयुक्त/अतिरिक्त जमा ऊर्जा (बैंकिग एनर्जी) के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रीड इंटरएक्टिव वितरित नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोत) विनियम 2021 के कंडिका 21.7 में छुट तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(F) के तहत छुट और **DRE (Distributed Renewable Energy) Regulations 2019** की कंडिका 29 एवं आदेश क्रमांक 35 ऑफ 2024 के अंतर्गत प्रस्तुत।

मेसर्स–वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पताः– बेहसर रोड ग्राम सोन्ड्रा,
इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2
सिलतरा, रायपुर (छ.ग.) ... आवेदक/याचिकाकर्ता

**विरूद्ध**

1. छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.
   डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)
2. छ0ग0 राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.
   डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)
3. छ0ग0 राज्य भार प्रेषण केन्द्र
   डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) ... अनावेदकगण

**पीठासीन** : विवेक गनोदवाले, सदस्य (विधि)
अजय कुमार सिंह, सदस्य (तकनीकी)

**उपस्थिति** : आवेदक की ओर से श्री मोहन एंटी उपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्रीमती अल्का यादव, कार्यपालन अभियंता उपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री. वी. जी. एक्का, अधीक्षण अभियंता उपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से श्री अभिनव कारडेकर एवं श्री आयुष सोलंकी, श्री अभिषेक जैन, अधीक्षण अभियंता उपस्थित।

## आदेश
## (13, नवंबर, 2026)

आवेदक मेसर्स–वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टील का निर्माण करता है, जो कि बेहसर रोड़, ग्राम–सोन्ड्रा, फेस–II, आद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, रायपुर में स्थित है। आवेदक, अनोवदक क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) का विद्युत उपभोक्ता है जिसका अनुबंध मॉग 10850 kVA है।

आवेदक अपने केप्टीव उपयोग हेतु 11.90 MW (AC) क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र ग्राम–ठंडार, तहसील–गंडई, जिला–खैरागढ छुईखदान गंडई में स्थापित किया है। आवेदक द्वारा यह याचिका सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा के सेटलमेंट के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

**2.** आवेदक ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को अनावेदक क्रमांक 01 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को अनावेदक क्रमांक 02 बनाया है। चूंकि आवेदक द्वारा कुछ समय के लिए Short Term Open Access (STOA) के माध्यम से विद्युत विक्रय किया गया था, इसीलिए आयोग के आदेश दिनांक 04.06.2026 के अनुसार छत्तीसगढ राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) को भी अनावेदक क्रमांक 3 बनाया गया है।

**3.** आवेदक के अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 CSPDCL के पत्र दिनांक 26.07.2024 के द्वारा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टिविटी के आधार पर आवेदक का सौर ऊर्जा संयंत्र अनावेदकगण के ग्रिड से जुडा हुआ है एवं उपरोक्त सौर ऊर्जा संयंत्र का सिक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12.2024 को अनावेदकगण द्वारा किया गया था। आवेदक के परिसर में अनावेदक क्रमांक 01 CSPDCL द्वारा दिनांक 27.12. 2024 को ABT meter की भी स्थापना कर दी गई थी।

**4.** आवेदक द्वारा Long Term Open Access (LTOA) हेतु एक आवेदन दिनांक 02.01.2025 को अनावेदकगण को प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा वर्ष 2025 में LTOA की अनुमति प्राप्त होने तक (दिनांक 01.08.2025) कई बार Short Term Open Access (STOA) के द्वारा भी विद्युत विक्रय किया गया है।

**5.** आवेदक का यह कथन है कि अपने सोलर प्लांट हेतु दिनांक 11.11.2024 को STOA का एक आवेदन अनावेदकगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसका निराकरण दिनांक 22.01.2025 को 02 माह के विलंब के पश्चात् किया गया। आवेदक द्वारा एक याचिका क्रमांक 70/2024 डेडिकेटेड फीडर के छुट हेतु Regulation 5(5) of CSERC (Connectivity and Intra State Open Access) Regulation, 2011 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी जिसमें पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 के पश्चात आवेदक द्वारा STOA के माध्यम से दिनांक 16.07.2025 तक कुल 85,95,900 यूनिट का विक्रय किया गया।

**6.** आवेदक का यह भी कथन है कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत LTOA आवेदन का निराकरण अनावेदकगण द्वारा 08 माह के अतिविलंब से दिनांक 01.08.2025 को किया गया। आवेदक के कथनानुसार उसके सोलर प्लांट द्वारा कुल 1,97,24,612 यूनिट का उत्पादन कर ग्रिड में इंजेक्शन किया गया है। जिसमें 85,95,900 युनिट STOA के माध्यम से (फरवरी–2025 से जुलाई–2025) विक्रय किया गया तथा 85,89,447 अतिरिक्त युनिट ग्रिड में डाली गई थी, जिसका समायोजन नही हो पाया है। उक्त 85,89,447 यूनिट को बैंकिग माना जाना चाहिए। आवेदक के अनुसार औपचारिक प्रक्रिया में हुए विलंब के कारण आवेदक को दोहरी आर्थिक हानि हुई है।

**7.** उपरोक्त कथनो के साथ आवेदक निम्न निवेदन करता है कि :–

**I.** सिक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12.2024 से 30.10.2025 तक शेष 85,89,447 इंजेक्ट युनिट को Deemed Banking units मानते हुए समायोजन किया जावे।

**II.** समायोजन के उपरांत यदि शेष यूनिट बचती है तो शेष बची यूनिट की राशि मय बैंक ब्याज दर से आवेदक को प्रदान किया जावे।

**8** आवेदक के कथनों के प्रतिउत्तर में अनावेदक क्रमांक 01 CSPDCL का यह अभिकथन है कि वर्तमान प्रकरण में Drawl End पर एबीटी मीटर की स्थापना दिनांक 27.12.2024 को नियमित रूप से कर दी गई थी। जिसके पश्चात् आवेदक द्वारा चाही गई अतिरिक्त ऊर्जा का समायोजन संभव नहीं हैं। वर्तमान प्रकरण में आयोग द्वारा आवेदक एवं अनावेदकगण के कथनों में LTOA से संबंधित दिनांको में अनियमितता पाये जाने पर अनावेदक क्रमांक 01 CSPDCL से सही कालानुक्रमिक

दिनांको की जानकारी मंगाई गई जिसके उपरांत अनावेंदक क्रमांक 01 CSPDCL द्वारा आवेदक के LTOA के आवेदन के संदर्भ में List of Dates प्रस्तुत की गई है।

**9** आवेदक के कथनो के प्रतिउत्तर में अनावेदक क्रमांक 02 CSPTCL का यह अभिकथन है कि आवेदक के द्वारा दिनांक 02.01.2025 को LTOA हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 30.01.2025 को अनावेदक क्रमांक 02 CSPTCL द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 CSPDCL को NOC/ Technical feasibility प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में दिनांक 21.07. 2025 को अनावेदक क्रमांक 01 CSPDCL द्वारा NOC/ Technical feasibility प्रेषित की गई। Technical feasibility रिपोर्ट एवं सक्षम प्राधिकारी से अंतिम अनुमति प्राप्त होने पर तत्कालिक LTOA के अनुमति की जानकारी दिनांक 13.08.2025 को अनावेदक क्रमांक 02 CSPTCL के द्वारा प्रदान कर दी गई थी कोई भी विलंब नही किया गया है।

**10** अनावेदक क्रमांक 3 SLDC का यह अभिकथन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन कि अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा STOA की अनुमति प्रदान करने में विलंब किया गया है पूर्णतः गलत है। अनावेदक क्रमांक 3 SLDC के अनुसार आवेदक द्वारा अप्रैल, मई, जुन एवं जुलाई–2025 हेतु STOA का आवदेन प्रस्तुत किया गया था, अनावेदक क्रमांक 3 SLDC द्वारा फरवरी 2025 में 19.02.2025 से एवं मार्च–2025 हेतु भी STOA का Standing clearance आवेदक को प्रदान किया गया थां। अनावेदक क्रमांक 3 SLDC द्वारा आवेदक के STOA के सभी आवेदनो का समयानुसार निराकरण कर दिया गया था।

**11** अनावेदक क्रमांक 3 का यह भी अभिकथन है कि आवेदक द्वारा व्यवसायिक रूप से STOA का लाभ उठाते हुए 85,95,900 यूनिट विक्रय किया गया, जिसका DSM Billing अनावेदक क्रमांक 03 SLDC द्वारा निर्धारित अंतर्राज्यीय विद्युत लेनदेन के अंतर्गत किया जाना है, परन्तु उक्त हेतु उचित billing mechanism/ applicable DSM rate नही होने के कारण अनावेदक क्रमांक 3 SLDC द्वारा DSM Bill जारी नहीं किया जा सका।

**12** अनावेदक क्रमांक 3 SLDC द्वारा पूर्व में 20.03.2026 एवं 22.04.2026 के पत्र द्वारा आयोग से यह भी निवेदन किया गया है कि राज्य में दो सोलर जनरेटरर्स मेसर्स वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं मेसर्स एएमपी एनर्जी सी एंड आई 26, द्वारा अंतर्राज्यीय ऊर्जा विक्रय की जा रही है साथ ही

साथ मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड द्वारा अंतर्राज्यीय RE Power, क्रय की जा रही है, जिनके हेतु DSM bill जारी करने के प्रावधानो के अभाव में DSM bill जारी नही किये जा रहे है अथवा इन विक्रेताओं को DSM Regulations, 2016 के अंतर्गत सामान्य (General/Normal) seller मानकर DSM bill जारी किया जाना चाहिये ।

**13 विचार बिंदुः–**

I. क्या आवेदक द्वारा STOA के माध्यम से Inter State sale हेतु ग्रिड में समाहित की गई ऊर्जा की बिलिंग CSERC (Intra&State Availability Based Tariff and Deviation Settlement Mechanism) Regulations, 2016 (DSM Regulations, 2016) के अंतर्गत एक सामान्य विक्रेता ''General seller" के रूप में किया जाना चाहिए?

II. क्या आवेदक द्वारा STOA के समय अंतराल के अतिरिक्त समय में ग्रिड में समाहित की गई ऊर्जा को Deemed Banking माना जाना चाहिए एवं यदि कोई युनिट शेष बचती है तो क्या आवेदक उक्त शेष यूनिट हेतु बैंक ब्याज दर के अनुसार राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है?

**<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>**

**<u>विचार बिंदु 1 का विश्लेषणः–</u>**

**14** आवेदक का यह कथन है कि आवेदक ने STOA के माध्यम से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई–2025 के दौरान अपने सोलर संयंत्र से अंतर्राज्यीय विद्युत विक्रय किया है जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई–2025 के STOA की पुष्टि की गई है, एवं फरवरी व मार्च 2025 के STOA हेतु कोई भी आपत्ति नही की गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा 19.02.2025 से 31.07.2025 तक STOA के माध्यम से अंतर्राज्यीय ऊर्जा विक्रय किया गया है।

**15** अनावेदक क्रमांक 3 छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र का यह निवेदन है कि आवेदक द्वारा STOA के माध्यम से अंतर्राज्यीय व्यापार किया गया है। जिसके हेतु निर्धारित विद्युत लेन–देन पर

DSM billing किया जाना चाहिए। इसके संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पत्र क्रमांक 2510 दिनांक 20.03.2026 एवं पत्र क्रमांक 151 दिनांक 22.04.2026 को संज्ञान में लेते हूए अनावेदक क्रमांक 3 के इस निवेदन कि वे सभी Re Power Generators जो STOA के अंतर्गत अंतर्राज्यीय ऊर्जा विक्रय कर रहे है वे सभी विक्रेताओं को DSM Regulations, 2016 के अंतर्गत सामान्य (General/Normal) seller मानकर DSM bill जारी किया जाना चाहिएः—

DSM Regulations, 2016 के अंतर्गत कंडिका 3.32 में seller की परिभाषा दी गई है जो कि निम्नानुसार हैः—

> *"3.32. "Seller" means a generating station including captive generating plant (selling directly or through trader) or licensee or a company located within the State, injecting power into the State-grid including such system when it is used in conjunction with inter-State transmission system and whose scheduling and/ or, metering and energy accounting is coordinated by SLDC."*

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उन सभी generating station जिनके द्वारा अंतर्राज्यीय संयोजन के साथ ऊर्जा विक्रय किया जा रहा है जिसकी metering and energy accounting राज्य भार प्रेषण केन्द्र के संयोजन से किया जा रहा है वे Seller कहलायेंगे एवं उनके द्वारा किये विक्रय का Seller के रूप में DSM Regulations, 2016 के अधीन लेखांकन किया होना आवश्यक है। इसीलिए राज्य के भीतर वे सभी generating stations जिनके द्वारा Short Term RE power Inter State sale की गई है अथवा की जा रही है, उन्हे सामान्य Seller मानते हूए, उन सभी को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा DSM Regulations, 2016 के अधीन DSM Bill जारी किया जाना आवश्यक है।

**<u>विचार बिंदु 2 का विश्लेषणः—</u>**

**16** आवेदक का यह कथन है कि आवेदक द्वारा उक्त STOA के अतिरिक्त 85,89,447 युनिट सिंक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12.2024 से 30.10.2025 तक ग्रिड में इंजेक्ट की गई है, जिसको Deemed banking माना जाना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि CSERC (Grid Interactive

Distributed Renewable Energy Sources) (Second Amendment) Regulations, 2023 के अंतर्गत कंडिका 21.6(v) में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

> *"Xxxxxxxxxx*
>
> *(v). For captive use/ third party sale, energy injected into the grid from the date of synchronization till the open access approval date will be considered as deemed energy banked. For the purpose of this provision, the date of synchronization shall be considered as date of commercial operation (COD).*
>
> *Xxxxxxxxxxx"*

उपरोक्त विनियम के आधार पर यह स्पष्ट है कि सिक्रोनाईजेशन तिथि से open access प्रदान होने की तिथि तक ग्रिड में इंजेक्ट की गई ऊर्जा के deemed energy मानी जाएगी तथा सिक्रोनाईजेशन तिथि को ही COD माना जाएगा।

**17** वर्तमान याचिका में आवेदक के सोलर संयंत्र का सिक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12.2024 को हो गया था परंतु आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य LTOA दिनांक 02.09.2025 को दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 21.07.2050 की 25 वर्ष की समयावधि हेतु करार हुआ। अनावेदक क्रमांक 01 CSPDCL द्वारा तकनीकी व्यवहारिता (Techinical Feasibility) में बहुत ही ज्यादा समय लगाया गया जो कि सर्वथा अनुचित है। तकनीकी व्यवहारिता रिपोर्ट 21.07.2025 को प्रेषित की गई, जिसके बाद LTOA की अनुमति प्रदान कर दी गई। अनावेदक क्रमांक 01 CSPDCL द्वारा प्रस्तुत किये गये List of dates के अनुसार Techinical Feasibility रिपोर्ट प्राप्त करने में समय लगा जो कि एक procedural delay है। आवेदक द्वारा LTOA हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही समय पर जनवरी 2025 में पूर्ण कर दी गई थी जिसके पश्चात हुये विलंब हेतु निश्चित रूप से अनावेदक गण जिम्मेदार है। जिसके कारण आवेदक को ग्रिड में इंजेक्ट की गई यूनिट हेतु हानि नही होनी चाहिये। आवेदक द्वारा दिनांक 05.12.2024 से 30.10.2025 तक शेष यूनिट के समायोजन का निवेदन किया गया है परंतु ऐसा कोई भी दस्तावेज दिनांक 30.10.2025 तक ग्रिड में ऊर्जा का संयोजन नही बताते हूए अभिलेखो में नही पाया गया है।

**18** उपरोक्त विवेचना उपरांत आवेदक द्वारा दिनांक 05.12.2024 से STOA के अनुमति के पूर्व दिनांक 18.02.2025 तक ग्रिड में इंजेक्ट की गई STOA के अतिरिक्त यूनिट को Deemed banking

माना जायेगा जो कि DRE Regulations, 2019 के विनियम 21.6(Vi) के अनुसार हर एक बैंकिग चक्र के अंत में यदि कोई अप्रयुक्त banked Energy या अधिशेष बचती है तो उसे Lapsed माना जायेगा। यहॉ Generating Station को उन Lapsed Energy के हद तक Renewable Energy Certificates प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। विनियम 21.6(Vi) निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

> *"The unutilized banked energy/surplus energy, if any, at the end of each banking cycle shall be considered lapsed and energy generating station shall be entitled to get renewable energy certificates to the extent of lapsed energy".*

**19** उपर्युक्त वर्णित बैंकिंग चक्र (Banking Cycle) को सम्यक् रूप से समझने हेतु याचिका क्रमांक 35/2024 में इस आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 में भविष्य में स्थापित होने वाले IDRES Projects के संबंध में प्रतिपादित कार्य–विधियों (Modalities) का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। उक्त आदेश, CSERC (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulation 2019 (संक्षेप में DRE Regulations, 2019) तथा उनमें समय–समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भविष्य में स्थापित होने वाले IDRES Projects के लिए बैंकिंग, अकाउंटिंग, सेटलमेंट एवं व्हीलिंग संबंधी कार्य–विधियों (Modalities) का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण करता है। आदेश दिनांक 26.06.2024 का उद्देश्य उक्त Modalities का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना है, ताकि आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति तथा समस्त अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरांत ऐसे प्रकल्प सुचारु रूप से संचालित हो सकें। इसी उद्देश्य से आदेश में Banking Cycle, or Banked Energy के समायोजन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः–

> "*Banked energy in a particular month shall be permitted to be carried forward to subsequent month within the quarter if such quantum of banked energy is at least 30% of total monthly consumption from the licensee. There would be four quarter in each banking cycle i.e., Apr to Jun will be quarter-1, July – Sep will be quarter-2 and so on. If, energy equivalent to less than 30% of total monthly consumption from the licensee is not banked then entire energy is lapsed for that particular month and cannot be redeemed or carried forward to next month of the same quarter. Unutilized/surplus banked energy*

*at the end of the each quarter shall be lapsed i.e., it will be considered as distribution licensee's energy. However, solar generator is entitled to get renewable energy certificates (RECs) for such lapsed energy at end of each quarter.".*

उपरोक्त तथ्यो एवं विनियमो के आधार पर आवेदक के सोलर संयंत्र द्वारा सिक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12.2024 से STOA आरंभ होने के पूर्व दिनांक 18.02.2025 तक ग्रिड में इंजेक्ट की गई युनिट Deemed banking को मानते हुए carry forward किया जाना चाहिए।

**20** अभय पक्षकारो के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनो, अभिलेखों एवं तर्को के अवलोकन साथ ही साथ उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम निम्नानुसार आदेश पारित करते हैः–

I. सभी RE Generators जिनके द्वारा STOA के माध्यम से अंतर्राज्यीय ऊर्जा विक्रय की जा रही है, उनको सामान्य DSM Regulations, 2016 के अधीन सामान्य seller मानते हूए DSM Bill जारी किया जावे।

II. आवेदक के सोलर संयंत्र द्वारा सिक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12.2024 से STOA आरंभ होने के पूर्व दिनांक 18.02.2025 तक ग्रिड में इंजेक्ट की गई युनिट को अक्टूबर–दिसंबर 2024 की तिमाही एवं जनवरी–मार्च 2025 की तिमाही हेतु Deemed banking माना जावे एवं carry forward किया जावें। तद्नुसार, अक्टूबर–दिसंबर 2024 की तिमाही के दौरान बैंक की गई एवं अप्रयुक्त ऊर्जा को जनवरी–मार्च 2025 की तिमाही में तथा जनवरी–मार्च 2025 की तिमाही के दौरान बैंक की गई एवं अप्रयुक्त ऊर्जा को अप्रैल–जून 2025 की तिमाही में Carry forward किया जावें तथा आवेदक के स्वयं के खपत में समायोजित किया जावें।

III. उपर्युक्त राहत के अतिरिक्त आवेदकगण किसी अन्य आर्थिक अथवा वित्तीय राहत हेतु पात्र नहीं होगा।

प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

**सही/–**
**अजय कुमार सिंह**
**सदस्य (तकनीकी)**

**सही/–**
**विवेक गनोदवाले**
**सदस्य (विधि)**